न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर जिला बाडमेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 103/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण		महाप्रबन्धक, एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड

184
28/02/23

रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 अन्तर्गत धारा 131 एवं 132

आदेश

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के पत्रांक राजस्व/2022/348 दिनांक 06.02.2023 द्वारा स्पष्ट अनुशंषा के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ठ 'अ' में अंकित बरंग हरा से दर्शित, सहायक अभियन्ता, सानिवि उपखण्ड बाडमेर ग्रामीण का पत्र दिनांक 30.08.2022 एवं महाप्रबन्धक, एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड का पत्र दिनांक 22.11.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया, जिसके अनुसार मौजा ग्राम सासियों की बस्ती के खसरा संख्या 861/827 रकबा 44.00 बीघा में खातेदार महाप्रबन्धक, एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड व सानिवि बाडमेर ग्रामीण की आपसी सहमति से यह रास्ता मौके पर खुला हुआ है एवं डामर सड़क निर्मित है, जिसका क्षेत्रफल 01.07 बीघा है, जो मौके पर रास्ता चालू है, परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नही है। साथ ही तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण एवं सहायक अभियन्ता, सानिवि उपखण्ड बाडमेर ग्रामीण का पत्र दिनांक 30.08.2022 एवं महाप्रबन्धक, एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड का पत्र दिनांक 22.11.2022 में उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

पटवार मण्डल – बान्दरा **तहसील – बाडमेर ग्रामीण**

वर्तमान में जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टी						नवीन रास्ते हेतु प्रविष्टी			
क्र. सं.	जीसीएमस पोर्टल पर दर्ज क्रमांक	तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (बीघा में)	किस्म	खसरा नम्बर	रास्तें में प्रभावित रकबा (बीघा में)	किस्म जमीन
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1		348/06.02.2023	सासियों की बस्ती	861/827	44.00	बा.दो.	861/827	01.07	गै.मु. रा

नोट :– तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी